



गुरु घासीदासविश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

(केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2009, क्रमांक 25 के अंतर्गतस्थापितकेंद्रीय विश्वविद्यालय)

GURU GHASIDAS VISHWAVIDYALAYA, BILASPUR (C.G.)

(A Central University established by the Central University Act., 2009 NO.25 of 2009)

Web Site – www.ggu.ac.in, ph. No. 07752-260021, fax No. 07752-260148,154

क...762 अका./शोध/वानिकी/2021

बिलासपुर, दिनांक...11 MARCH

प्रति,

Mr.Anish Kumar Singh (शोधार्थी)
वानिकी, वन्यजीव और पर्यावरण विज्ञान विभाग,
गुरु घासीदास विश्वविद्यालय
बिलासपुर (छ.ग.)

(पंजीकृत डाक द्वारा)

विषय:— यू.जी.सी. (एम.फिल./पीएच.डी. उपाधि के लिए न्यूनतम मानक एवं प्रक्रिया) विनियम, 2016 के प्रावधानानुसार पीएचडी उपाधि के लिए पंजीयन।

विभागीय शोध समिति की बैठक दिनांक 09-11-2020 में लिए गये निर्णय के परिप्रेक्ष्य में शोध कार्य हेतु (विषय) वानिकी, विद्यापीठ-प्राकृतिक संसाधन में आपका पंजीयन सक्षम संस्तुति उपरान्त निम्नानुसार किया जाता है:-

शोध का विषय शीर्षक		शोध निर्देशक	
Acclimatization and adaptation of Cordia macleodii and Soyimida febrifuga outside natural forest, of Bilaspur, Chhattisgarh		डॉ० के. के. चन्द्रा सह-प्राध्यापक, वानिकी विभाग, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)	
शोध केन्द्र	पंजीयनक्रमकॉक	पंजीयनतिथि	नामांकनक्रमकॉक
वानिकी, वन्यजीव और पर्यावरण विज्ञान विभाग (विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग) गुरु घासीदास विश्वविद्यालय बिलासपुर (छ.ग.)	185134503	09-11-2020	GGV/18/6176

- 1 आप यू.जी.सी. (एम.फिल./पीएच.डी. उपाधि के लिए न्यूनतम मानक एवं प्रक्रिया) विनियम, 2016 के प्रावधानों एवं विश्वविद्यालय शोध अध्यादेश एवं विनियम में उल्लिखित नियमों के अनुसार पीएच.डी. शोध कार्य करेंगे। विश्वविद्यालय शोध विनियम 18 के नियमन R-11 के अनुसार शोध पंजीयन तिथि से प्रति छः माही प्रगति प्रतिवेदन एवं उपस्थिति का लेखा शोध निर्देशक/ RAC द्वारा अनुशंसित एवं DRC/Dean के संस्तुति / अनुमोदन के पश्चात जमा करना होगा। यदि निरंतर दो सेमेस्टर प्रतिवेदन असंतोष जनक पाये गये अथवा एक वर्ष तक प्रगति प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ तो शोध-पंजीयन स्वयमेव निरस्त हो जायेगा। शोध ग्रन्थ प्रस्तुत करने की तिथि से लगभग एक माह पूर्व छः प्रतियों में शोध ग्रन्थ का सार संक्षेप (समरी) शोध निर्देशक के माध्यम से प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

कमशः

- 2 यह पंजीयन छः वर्ष तक जीवित रहेगा तथा पंजीयन तिथि से छःवर्ष के भीतर शोधार्थी द्वारा शोध ग्रंथ जमा नहीं करने पर पंजीयन छःवर्ष उपरांत स्वतः निरस्त हो जावेगा । शोध पंजीयन अवधि में वृद्धि विश्वविद्यालय शोध विनियम 2018 के नियमन R-10 अधीन रहेगा ।
3. शोध ग्रंथ प्रस्तुतीकरण/प्रोसेसिंग शुल्क रूपये 5000/- (परिवर्तनीय) विश्वविद्यालय कोष में चालान के द्वारा देय होगा ।
4. शोध विनियम के प्रावधानानुसार शोधार्थी को निर्धारित समयावधि में शोध ग्रंथ प्रस्तुत करना होगा । छः माही प्रगति प्रतिवेदन एवं शोध ग्रंथ जमा करना शोधार्थी की ब्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी विश्वविद्यालय द्वारा इस संबंध में स्मरण नहीं कराया जायेगा ।
5. शोधार्थी का पंजीयन एवं शोध कार्य विश्वविद्यालय के शोध विनियम-2018 के अधीन होगा । अतः शोधार्थी को यह सलाह दी जाती है कि विश्वविद्यालय शोध विनियम-2018 के प्रावधानों का भली-भांति अध्ययन कर लें ।

आदेशानुसार,

सहा. कुलसचिव(अका.)

क्रमांक 763/अका0/शोध/वानिकी/2021

बिलासपुर, दिनांक

प्रतिलिपि:-

- 1 शोध निर्देशक-डॉ० के.के. चन्द्रा सह-प्राध्यापक वानिकी विभाग, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर छ० ग० को इस निवेदन के साथ प्रेषित है कि वे ऊपर लिखित शोध अध्यादेश/विनियम के प्रावधानानुसार संलग्न प्रारूप में शोध छात्र का प्रत्येक सेमेस्टर छःमाही प्रगति प्रतिवेदन विश्वविद्यालय को अनिवार्य रूप से प्रेषित करें। विश्वविद्यालय द्वारा इस संबंध में अलग से पत्र व्यवहार नहीं किया जायेगा ।
- 2 विभागाध्यक्ष, वानिकी विभाग, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर छ० ग० की ओर सूचनार्थ ।
- 3 सहायक कुलसचिव, गोपनीय शाखा गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर की ओर सूचनार्थ ।
- 4 ग्रंथपाल, केन्द्रीय ग्रंथालय, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर को सूचनार्थ ।
- 5 विभागाध्यक्ष, संगणक विज्ञान और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की ओर वेब पटल पर अपलोड किये गये सूची में शामिल करने हेतु प्रेषित ।
- 6 संबंधित नस्ती प्रति ।

सहा. कुलसचिव(अका.)

गुरु घासीदास विश्वविद्यालय,
बिलासपुर(छ.ग.)